

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(235) वित्त-1(1)आ.व्यय/2010/

जयपुर, दिनांक : 12.12.2011

संबंधित कोषाधिकारी,  
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या - 483 /2011-12)

विषय:- पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए द्वितीय किस्त का जिला परिषदों व पंचायत समितियों के पी.डी.खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 4 (1) परावि/पी.सी./निरायों/2011/1827 दि.2.12.2011 में अंकित शर्तों एवं साथ संलग्न सारणी के अनुसार संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल राशि रु. 6974.99 लाख (अक्षरे राशि रु. छन्नहत्तर करोड़ चौहत्तर लाख निम्नानवे हजार) मात्र निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दिया जाव:-

-:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

1. बजट मद

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

198- जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

मांग सं. 41 (15) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष [02]- कार्यकलाप /गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)	मांग सं. 30 (16) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष [02]- कार्यकलाप /गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)	मांग सं. 51 (17) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष [02]- कार्यकलाप /गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)	योग (राशि लाखों में)
828.908	231.656	316.140	1376.702

2. बजट मद

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

197- ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता

मांग सं. 41 (10) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष [02]- कार्यकलाप /गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)	मांग सं. 30 (11) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष [02]- कार्यकलाप /गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)	मांग सं. 51 (12) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष [02]- कार्यकलाप /गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)	योग (राशि लाखों में)
3369.540	942.606	1286.142	5598.288
		कुल योग (1+2)	6974.990

मे.स.स.स.  
09.12.2011

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषद/पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृती का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भुवदीय  
09.12.11  
(सुधीर शर्मा)

शासन उप सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजस्थान।
6. अनुमागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्युटर सैल) विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

09.12.11

शासन उप सचिव, वित्त (बजट)